

## प्रेस नोट 19.05.19

1.दिनांक 18.05.19 को वादी श्री अनुज कुमार पुत्र दुखीराम निवासी बुद्धनगर मोदहा दक्षिणी थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एटी 6373 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे चोटे आना व दाहिने हाथ की अंगुली मे फ्रैक्चर आना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 290/19 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 18.05.19 को वादी श्री रामजी गुप्ता पुत्र हनुमान प्रसाद गुप्ता निवासी 4/7/163 रायगंज, थाना को0अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं0 यूपी 42 एएच 3496 चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 291/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 18.05.19 को वादी उ0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह थाना पूराकलन्दर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार पुत्र मेवालाल निवासी केराजोत मजरे तोरोमाफी दराबगंज थाना को0बीकापुर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 221/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 18.05.19 को वादी श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक प्रवर्तन दल, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आलोक पाण्डेय पुत्र शंकर दयाल पाण्डेय निवासी हरिबंदनपुर थाना रौनाही, अयोध्या अभियुक्त द्वारा कटिया लगाकर विद्युत चोरी कर उपभोग करना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 222/19 धारा 135(1)ए विद्युत अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 18.05.19 को वादी श्री राम सरन निषाद पुत्र शिवराम निषाद निवासी गौरा थाना तारून, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के चाचा की बाइक मे टक्कर मार देना, जिससे चोटे आने के कारण इलाज के दौरान वादी के चाचा की मृत्यु हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 303/19 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

6.दिनांक 18.05.19 को वादी श्री राहुल गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी तोरोमाफी दराबगंज थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एएन 4829 कार का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की मोटर साइकिल मे टक्कर मार देना जिससे वादी को चोटे आना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 305/19 धारा 279, 337 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।